कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/पीजी–2024/ 1318 लखनऊःदिनांक 04 जुलाई,2024

यू0पी0 नीट– एम0डी0एस0 2024 की प्रथम चक की ऑनलाइन काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- नीट एम0डी0एस0–2024 की प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट एम0डी0एस0 2024 की काउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।
- नीट एम0डी0एस0 2024 की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय वेबसाइट https://upneet.gov.in पर लॉगिन कर पंजीकरण किया जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण शुल्क रू0 3,000/– ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा मे वापस नही किया जायेगा अर्थात पंजीकरण शुल्क (Non Refundable) है।
- अभ्यर्थियो द्वारा निम्नांकित तालिका में उल्लिखित सिक्योरिटी धनराशि ऑन–लाइन माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति मे अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगेः–

क0सं0	विवरण	धरोहर धनराशि (Security Money)
1	राजकीय क्षेत्र की एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 30,000 (रु0 तीस हजार मात्र)
2.	निजी क्षेत्र की एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम सीटों हेतु	रू0 1,00,000 (रु0 एक लाख मात्र)

- कांउसिलिंग में प्रतिभाग किये जाने हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) रू0 1,00,000 जमा करने पर अभ्यर्थी राजकीय/निजी दोनो क्षेत्र के डेन्टल कालेजो की सीटो हेतु अर्ह होगें।
- अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जायेगी।
- दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत एंव निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगें।
- *निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं अथवा उनके अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।*

- ❖ प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज की सीटो पर प्रवेश हेतु अपनी वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाईस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- ❖ **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में समय सारिणी में निर्धारित समयावधि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाइस स्वतः लॉक हो जायेगी।**
- ❖ **निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को शासन/अल्पसंख्यक संस्था द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tution Fee) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे तैयार सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट, जो लखनऊ मे देय हो, प्रवेश के समय निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति मे प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।**
- ❖ राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजो में आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित कालेज में पूर्ण की जायेगी।
- ❖ निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजो मे आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टर पर सम्पन्न की जायेगी। नोडल सेन्टर की सूची पृथक से विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- ❖ उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका **अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2024 अथवा इसके पश्चात् का बना** होना अनिवार्य है।
- ❖ आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगें।
- ❖ भारत सरकार के अधीन पदों पर प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

कृते महानिदेशक